सुदर्शन कुमार मित्तल बनाम राविंदर कुमार मित्तल

(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

विनोद एस. भारद्वाजके सामने, जे.

सुदर्शन कुमार मित्तल-याचिकाकर्ता

बनाम

2016 का रविंदर कुमार मित्तल प्रतिवादी सी. आर. एम.-एम. सं. 4299

22 अप्रैल, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 82,483 और 461- पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881-Ss.138 और 143-अनुच्छेद 143 के तहत दिए गए निर्देशों का केवल गैर-अनुपालन, जो किसी मामले को सम्मन देना मामले के रूप में चलाने का निर्देश देने से पहले पक्षों को सुनवाई करने पर विचार करता है, मुकदमे को दूषित नहीं करेगा-याचिका खारिज कर दी गई।

माना जाता है कि मामले की दूसरे दृष्टिकोण से जांच की जा रही है, खंड 461 सी. आर. पी. सी. अनियमितताओं से संबंधित है जो कार्यवाही को प्रभावित करती हैं। मजिस्ट्रेटका मामले को सम्मन मामले के रूप में देखने का आदेश कोई ऐसी अनियमितता नहीं है जो कार्यवाही को दूषित कर दे।इसलिए, भले ही खंड 143 का परंतुक किसी मामले को सम्मन मामले के रूप में चलाने का निर्देश देने से पहले पक्षों को सुनवाई करने पर विचार करता है, लेकिन इसका पालन न करने से कार्यवाही दूषित नहीं होती है।जाहिर तौर पर उक्त परंतुक एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां मामले को सम्मन मामले के रूप में चलाने का आदेश मजिस्ट्रैट द्वारा मुकदमा शुरू होने के बाद पारित किया जाता है और जहां कुछ गवाहों को दर्ज किया गया है।

(पैरा 16)

याचिकाकर्ता की ओर से अंशुल मंगला, अधिवक्ता

एम. एस. कथुरिया, प्रतिवादीके अधिवक्ता

विनोद एस. भारद्वाज। जे.

(1) पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की खंड 138 के तहत आपराधिक शिकायत (संख्या 4280 दिनांक 23.08.2012) दिनांक (आईडी1) में कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की खंड

483 के साथ पठित खंड 482 के तहत तत्काल याचिका दायर की गई है और आरोप है कि इसे पराक्रम्यलिखत अधिनियम की खंड 143 के जनादेश का उल्लंघन करते हुए शुरू किया गया था और कानूनी मैक्सिम "सबलाटो फंडामेंटो कैडिट ओपस "से प्रभावितकिया गया था, जिसका अर्थ है कि एक बार नींव को हटा दिया गया है , संरचना गिर जाती है, पंजाब राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय बनाम देविंदर पाल के फैसले पर भरोसा करके।

सिंह भुल्लर और अन्य आदि। 1.

(2) मामले के तथ्यों के एक संक्षिप्त संदर्भ से पता चलता है कि प्रतिवादी -रविंदर कुमार मित्तल द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली पर 692 रुपये की राशि का चैक संख्या 524360 दिंनाक 06.07.2012जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा मौजूदा आंशिक देनदारी के लिए 01,29,74,692 रूपये की राशि का चैक इस आश्वासनके साथ जारी किया गया था कि चेक को बैंक में प्रस्तुतकरने पर भुनाया जाएगा।हालाँकि , इसकी प्रस्तुतिपर, चेक को "अपर्याप्त धन "और "दराज के हस्ताक्षर भिन्न"टिप्पणी के साथ नामोदिनांकित 17.07.2012 के माध्यम से भुगतान किए बिना वापस कर दिया गया था।इसका मतलब यह था कि न केवल याचिकाकर्ता-अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धन नहीं था, बल्कि चेक भी बैंक के पासउपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाता था। 21 जुलाई, 2012 के पराक्रम्यलिखत अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता -अभियुक्त को एक वैधानिक नोटिस भेजा गया था , हालांकि, धन का भुगतान न करने पर, विचाराधीन शिकायत दर्ज की गई थी और याचिकाकर्ता-अभियुक्त को 23 अगस्त, 2012 के आदेश के अनुसार पराक्रम्यलिखत अधिनियम की खंड 138 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था।चेक की भारी राशि पर विचार करते हुए निचली अदालत ने 24 अगस्त, 2013 के आदेश में कहा कि मामले में एक साल से अधिक का कारावास हो सकता है और इस तरह मामले को संक्षिप्त तरीके से चलाना अवांछनीय है।तदनुसार , मामले की सुनवाई सम्मन मामले के रूप में की गई।याचिकाकर्ता -अभियुक्त को 29 नवंबर, 2013 को आरोप का नोटिस दिया गया था।इस प्रकार वर्तमान याचिका दायर की गई थी जिसमें मामले को सम्मन मामले के रूप में संचालित करने के निर्देश देने वाली कार्यवाही को चुनौती दी गई थी , जिसमें आग्रहकिया गया था कि आदेश पराक्रम्यलिखत अधिनियम की खंड 143 के जनादेश के साथ संघर्ष कर रहा था , जो मामलों को संक्षेप में चलाने की अदालत की शक्ति से संबंधित है।

(3) याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि मामले को सम्मन मामले के रूप में चलाने का आदेश निचली अदालत द्वारा समय से पहले और मुकदमा शुरू होने से पहले पारित किया गया है।न्यायिक निर्णय पर निर्भरता रखते हुए

जे. वी. बहरुनी और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य और

2, यह प्रस्तुत किया गया है कि मामले को सम्मन देना मामले के रूप में चलाने की राय मुकदमे के दौरान तैयार की जानी चाहिए और चूंकि मुकदमे को आरोप की सूचना के बाद शुरू करना है, इसलिएदिनांक 24.08.2013 (अनुलग्नक पी-4) आदेश खराब है औरअलगनिर्धारित किया जा सकता है।

1 2012 (1) आर. सी. आर. (क्रोरल) 126

2 2014(4) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 696 सुदर्शन कुमार मित्तल बनाम रविंदर कुमार मित्तल

(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

जे. वी. बहरुनी (ऊपर) के मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए निर्णय के प्रासंगिकउद्धरण को नीचे पुनः प्रस्तुतकिया गया हैः-

25. एन. आई. अधिनियम की खंड 143 की उप-खंड (1) यह स्पष्ट करती है कि एन. आई. अधिनियम के अध्याय XVII के तहत सभी अपराधों का मजिस्ट्रैटद्वारा मुकदमा चलाया जाएगा , जहां तक हो सके, खंड 262 से 265 के प्रावधानों को लागू करते हुए।एन . आई. अधिनियम की खंड 143 की उप-खंड (1) में आगे यह **प्रावधान**किया गया है कि संक्षिप्त सुनवाई के दौरान , यदि मजिस्ट्रैटकी राय है कि मामले की प्रकृतिके लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या 5,000/— रूपये का जुर्माना लगा सकता है। तो मामले का संक्षिप्त परीक्षण करना अवांछनीय है , मजिस्ट्रैट, पक्षों को सुनने के बाद, उस आशय का आदेश दर्ज करेगा और उसके बाद किसी भी गवाह को वापस बुलाएगा जिसकी उसने जांच की थी, या मामले की पुनः सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा।उप-धारा (2) में आदेश दिया गया है कि जहां तक संभव हो , परीक्षण को उसके समापन तक दिन -प्रतिदिनके आधार पर संचालित किया जाना चाहिए।

(4) विद्वान वकील ने आगे इंडियन बैंक के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है

एसोसिएशन और ओआरएस बनाम भारत संघ और ओआरएस 3.प्रासंगिक

उद्धरण इस प्रकार हैः- संशोधन अधिनियम, 2002 को अपनी मूल भावना से प्रभावीबनाना होगा।अधिनियम की खंड 143, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, उक्त अधिनियम द्वारा यह निर्धारित करते हुए अंतःस्थापित की गई है कि दंड प्रक्रियासंहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद,धन की कमी के कारणसंविदात्मक लिखत अधिनियम के अध्याय XVII में निहित सभी अपराधों का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रैटद्वारा किया जाएगा और संक्षिप्त परीक्षणों के लिए प्रक्रियानिर्धारित करने वाली खंड 262 से 265 तक के प्रावधान ऐसे परीक्षणों पर लागू होंगे और मजिस्ट्रेट के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा और 5,000/- रुपये से अधिक जुर्माने की राशि पारित करना वैध होगा और यह आगे प्रावधान किया गया है कि संक्षिप्त परीक्षण के दौरान, यदि यह 3 2014 (2) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 59 है।

मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृतिके लिए एक वर्ष से अधिक की कारावास की सजा पारित करने की आवश्यकता है , मजिस्ट्रेट, पक्षों को सुनने के बाद , उस आशय का आदेश दर्ज करता है और उसके बाद किसी भी गवाह को वापस बुलाता है और दण्ड प्रक्रियासंहिता में प्रदानकी गई विधि से मामले की सुनवाई या पूर्वाभ्यास के लिए आगे बढ़ता है।

(5) विद्वान वकील ने पंजाब राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य 4।का प्रारभिंगउद्धर्ण

उसी को नीचे पुनः प्रस्तुतकिया गया हैः-72. यह एक तय कानूनी प्रस्तावहै कि यदि प्रारभिंककार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है, तो बाद की सभी और परिणामी कार्यवाही इस कारण द्वारा विफल हो जाएगी कि अवैधता आदेश की जड़ पर हमला करती है।ऐसी तथ्य-स्थिति में, कानूनी उक्ति "सबलाटो फंडामेंटो कैडिट ओपस"जिसका अर्थ है कि नींव को हटाया जा रहा है, संरचना/कार्य गिरता है, चलन में आता है और वर्तमान मामले में सभी अंकों पर लागू होता है।

(6) याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने आगे तर्क दिया कि विचाराधीन आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया है और यह कि उक्त आदेश पूर्वाग्रह पूर्ण है, क्योंकि याचिकाकर्ता को अब 1 वर्ष से अधिक की सजा के लिए भी दंडित किया जा सकता है, इसलिए अदालत के लिए यह अनिवार्य था कि मामले को सम्मन देना मामले के रूप में मानने से पहले याचिकाकर्ता-आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाए।

(7) इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों का प्रतिवादीकी ओर से पेश वकील ने विरोध किया।उन्होंने कहा है कि तत्काल याचिका दायर करना कानून की प्रक्रियाका दुरुपयोग है।यह बताया गया है कि विचाराधीन आदेश 24 अगस्त 2013 को पारित किया गया था , जबकि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका ढाई साल की देरी के बाद 3 फरवरी 2016 को दायर की गई थी। आगे यहप्रस्तुतकिया जाता है कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य को नवंबर 2014 में बंद कर दिया गया था और याचिकाकर्ता - आरोपी का बयान भी खंड 313 सीआरपीसी के तहत 15 दिसंबर, 2015 को दर्ज किया गया था।इसलिए मुकदमा समाप्त होने के बाद याचिका दायर की गई है।

(8) याचिकाकर्ता के वकील ने यह दलील देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने में देरी की व्याख्या की है कि उन्हेंउक्त आदेश कीजानकारी नहीं थी

4 2012(1) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 126 सुदर्शन कुमार मित्तल बनाम रविंदर कुमार मित्तल

(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

जो हालांकि स्पष्ट रूप से गलत है।यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को इसके बारे में पता नहीं था, विशेष रूप से जब उसने मुकदमे में भाग लिया था।

(9) प्रतिवादीके विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुतकिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं और याचिकाकर्ता को मामले को संक्षिप्त रूप से आज़माने के बजाय सम्मन मामले के रूप में माने जाने का निर्देश देने से कोई पूर्वाग्रहनहीं होता है।वह प्रस्तुतकरता है कि अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने और गवाहों का सामना करने का बेहतर मौका मिलता है।इसके अलावा, चुनौती देने में अत्यधिक देरी , याचिकाकर्ता के प्रतिकोई पूर्वाग्रहस्थापित नहीं किया गया है और तत्काल याचिका दायर करने के लिए केवल एक आशंका को आधार बनाया गया है।

(10) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिवचनों के साथ-साथ मामले के साथ जुड़े दस्तावेजों को भी देखा हैऔर संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णयों को भी देखा है।

(11) मामले में आगे बढ़ने से पहले, प्रासंगिकवैधानिक प्रावधान। पराक्रम्यलिखत अधिनियम की खंड 143 नीचे पुनः प्रस्तुतकी गई हैः-

143. मामले की संक्षिप्त सुनवाई करने की न्यायालय की शक्ति।—

(1) दंड प्रक्रियासंहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के तहत सभी अपराधों की सुनवाई प्रथमश्रेणीके न्यायिक मजिस्ट्रैटया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रैटद्वारा की जाएगी और उक्त संहिता की धारा 262 से 265 (दोनों सहित) के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसे परीक्षणों पर लागू होंगेःबशर्ते कि इस खंड के तहत संक्षिप्त मुकदमे में किसी भी दोषसिद्धि की स्थिति में, मजिस्ट्रेट के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा और पांच हजार रुपये से अधिक जुर्माने की राशि पारित करना विधिसम्मत होगाः

बशर्ते कि जब इस खंड के तहत संक्षिप्त मुकदमे के प्रारंभमें या उसके दौरान मजिस्ट्रैटको ऐसा प्रतीतहोता है कि मामले की प्रकृतिऐसी है कि एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है या कि किसी अन्य कारण से मामले का संक्षिप्त रूप से परीक्षण करना अवांछनीय है, तो मजिस्ट्रैटपक्षों को सुनने के बाद उस आशय का आदेश दर्ज करेगा और उसके बाद किसी ऐसे गवाह को वापस बुलाएगा।

जांच की गई और उक्त संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से मामले की सुनवाई या पूर्वाभ्यास करने के लिए आगे बढ़े।

(2) इस खंड के तहत किसी मामले का मुकदमा , जहां तक संभव हो , न्यायाधीश के हितों के अनुरूप , उसके समापन तक दिन -प्रतिदिनजारी रहेगा, जब तक कि न्यायालय लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के लिए अगले दिन से आगे मुकदमे का स्थगन आवश्यक नहीं समझता है।

(3) इस खंड के तहत प्रत्येकमुकदमे को यथासंभव तेजी से चलाया जाएगा और शिकायत दर्ज करने की तारीख से छह महीने के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का प्रयासकिया जाएगा।

(12) उक्त प्रावधानके एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि खंड 143 (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार "प्रारंभमें"और "या उसके दौरान"अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।हालांकि यह कानून में अच्छी तरह से तय किया गया है कि मुकदमे की शुरुआत आरोप की सूचना की तामील पर होगी, हालांकि, "या"वाक्यांश के उपयोग को एक अर्थ सौंपा जाना चाहिए।विधायिका ने दो अलग-अलग वाक्यांशों का वैकल्पिक रूप से उपयोग किया है, इसलिए उनका एक अर्थ रखने का इरादा नहीं हो सकता था।वाक्यांश "संक्षिप्त परीक्षण के दौरान"का हमेशा व्यापक महत्व होता है और यह आरोप की सूचना देने से पहले ही आकर्षित हो जाता है।"संक्षिप्त परीक्षण के दौरान"शब्द की व्याख्या मुकदमे के "प्रारंभ में"के रूप में नहीं की जा सकती है।विधायिका शब्दों का उपयोग केवल एक अनावश्यक

अभिव्यक्ति के रूप में नहीं करती है और उसी को विशिष्ट विस्तार और अर्थ के साथ लागू करने का इरादा रखती है; उसी को अर्थ में पढ़ना वैधानिक इरादे को निरर्थक और अर्थहीन बनाकर अधिनियम के साथ हिंसा करने के बराबर होगा।"मुकदमे की प्रक्रिया, "स्पष्ट रूप से"मुकदमे की शुरुआत "से अलग है।जबकि विधानमंडल ने "परीक्षण की शुरुआत"अभिव्यक्ति में एक निश्चित चरण निर्धारित किया है; "परीक्षण के दौरान"का उपयोग करते समय विधानमंडल द्वारा ऐसा कोई चरण सीमित नहीं है।इस प्रकार यह अपनी व्याख्या और प्रयोज्यता में व्यापक है।

(13) याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील द्वारा दिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए , यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन निर्णय उस प्रस्तुति पर लागू नहीं होंगे जिसे आगे बढ़ाने की मांग की गई है।खंड 143 पराक्रम्यलिखत अधिनियम को शामिल करना मामलों के त्वरित निपटारे के उद्देश्य से था जिसके परिणामस्वरूप पराक्रम्यलिखत अधिनियम के तहत अपराध के मुकदमे की प्रक्रियाको सरल बनाने की सिफारिश की गई थी।खंड 143 से 147 को शामिल करने का उद्देश्य सुदर्शन कुमार मित्तल बनाम रविंदर कुमार मित्तल के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करना था।

(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

प्रक्रियाको सरल बनाना और विशेष रूप से एक नियमित आपराधिक मुकदमे में उन चरणों और प्रक्रियाको दूर करना जो आम तौर पर इसके निष्कर्ष में अत्यधिक देरी का कारण बनते हैं और एक निष्पक्ष मुकदमे के लिए आरोपी के अधिकार के साथ किसी भी तरह से समझौता किए बिना एक परीक्षण प्रक्रियाको त्वरित और संभव बनाना।किसी मामले को संक्षिप्त मुकदमे के रूप में या पराक्रम्यलिखत अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों में सम्मन देना मामले के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई स्ट्रैटजैकेट फार्मूलानहीं है। इसलिए प्रदानकिया गया कानून इतना लचीला है कि यह विवेकपूर्ण न्यायिक दिमाग पर निर्भर करता है कि वह मामले का संक्षिप्त या अन्यथा परीक्षण करे।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जे . वी. बहरुनी (ऊपर) के मामले में पैरा 44 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की खंड 143 के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कोई मजिस्ट्रैटमामले को संक्षिप्त रूप से चलाने के लिए उपयुक्त नहीं समझता है , तो वह पक्षों को सुनने के बाद उस आशय का आदेश दर्ज करेगा।सिर्फ इसलिए कि निचली अदालत द्वारा इस निर्देश का ईमानदारी से पालन नहीं किया जाता है , यह स्वयं पूरे मुकदमे को दूषित नहीं करेगा और अपील न्यायालय को केवल इस आधार पर नए सिरे से सुनवाई का निर्देश नहीं देना चाहिए कि निचली अदालत ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई नहीं करने के लिए आदेश दर्ज नहीं किया है।यह भी कहा गया है कि असाधारण और दुर्लभ मामलों में पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई का आदेश तभी दिया जाना चाहिए जब न्यायाधीश की विफलता को रोकने के लिए नए सिरे से सुनवाई का ऐसा कर्मअनिवार्य हो जाए।

(14) यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किया गया था

मेहसाणा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम सहकारी कैब का मामला

कं. और अन्य 5, कि जहां किसी मामले में साक्ष्य पूर्ण रूप से दर्ज किया जाता है और संक्षिप्त तरीके से नहीं, तो मजिस्ट्रैटके स्थानांतरण पर नए सिरे से परीक्षण का निर्देश देना उचित नहीं है।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थेः-

ए। सभी अधीनस्थ न्यायाधीशालयों को समयबद्ध तरीके से मामलों की सुनवाई में तेजी लाने का प्रयासकरना चाहिए जो बदले में न्यायाधीश वितरण प्रणालीमें आम आदमी का विश्वास बहाल करेगा।जब कानून निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ करने की उम्मीद करता है, तो कानून के आदेश का पालन करने के लिए कुछ प्रयासकरने की आवश्यकता होती है।

बी। विद्वान मजिस्ट्रैटके पास एन. आई. अधिनियम की खंड 143 के तहत या तो संक्षिप्त परीक्षण या सम्मन देना परीक्षण का पालन करने का विवेकाधिकार है।यदि मजिस्ट्रैटसम्मन देना मुकदमा चलाना चाहता है, तो उसे पक्षों को सुनने के बाद कारणों को दर्ज करना चाहिए और मुकदमे के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

5 2014(3) आर. सी. आर. (क्रोरल) 367

एन. आई. अधिनियम की खंड 143 के दूसरे परंतुक के तहत प्रदानकिया गया। इस तरह के कारणों को अनिवार्य रूप से निचली अदालत द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए ताकि मुकदमे के तरीके से संबंधित आगे की मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

ग. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रैटको मुकदमेबाजी के शुरुआती चरण में अपराध के शमनप्रोत्साहितकरने के लिए हर संभव प्रयासकरना चाहिए।पराक्रम्यलिखत अधिनियम के तहत अभियोजन में , उपचार के प्रतिपूरक पहलू को दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकतादी जानी चाहिए।

घ. सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मुकदमों के प्रभावीसंचालन और मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कई मामलों में जारी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए।

ङ. नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले को भेजने का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए और जब अवैधता , अनियमितता, अक्षमता या किसी अन्य दोष के आलोक में न्यायाधीश का गंभीर

उल्लंघनहोता है जिसे अपीलीय स्तर पर ठीक नहीं किया जा सकता है तो इसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए।अपीलीय न्यायालय को बहुत सतर्क रहना चाहिए और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए रिमांड करते समय विवेकपूर्ण तरीके से विवेकाधिकार का **प्रयोग**करना चाहिए।

च. यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या यह संक्षिप्त परीक्षण या सम्मन देना परीक्षण था , निचली अदालत द्वारा किए गए परीक्षण की प्रकृतिकी जांच करते समय , अपीलीय न्यायालय द्वारा अपनाया जाने वाला **प्राथमिक**और **प्रमुख**परीक्षण यह होना चाहिए कि क्या यह केवल उस साक्ष्य का सार था जिसे दर्ज किया गया था या क्या गवाह की मुख्य परीक्षा ,**प्रति**परीक्षा और मौखिक रूप से पुनः परीक्षा में बयान का पूरा रिकॉर्ड ईमानदारी से रिकॉर्ड पर रखा गया था।अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत के अभिलेख के **प्रत्येक**मिनट के विवरण को देखना होता है और फिर एक न्यायसंगत और उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के द्वारा **स्वतंत्र**रूप से और पूरी तरह से इसकी जांच करनी होती है।

(15) इसके अलावा, इंडियन बैंक एसोसिएशन (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा करना गलत है क्योंकि उक्त फैसले में केवल यह विचार किया गया है कि किसी मामले को सम्मन देना मामले के रूप में चलाने का आदेश पक्षों को सुनने के बाद पारित किया जाना चाहिए , जो कि उक्त परंतुक का स्पष्ट और सूचक अध्ययन भी है।हालाँकि , उक्त निर्णय में यह नहीं कहा गया है कि यह एक अनिवार्य **प्रावधान**है और इसका कोई भी गैर-अनुपालन कार्यवाही को दूषित करेगा।

जहाँ तक सुदर्शन कुमार मित्तल बनाम राविंदर कुमार मित्तल का संबंध है।

(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

पंजाब राज्य बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर और

अन्यथा, उक्त निर्णय तत्काल मामले के तथ्यों पर फिर से लागू नहीं होता है।उक्त निर्णय के अनुपात को लागू करने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि प्रारभिंककार्रवाई कानून के साथ टकरावमें है ताकि यह आदेश दिया जा सके कि सभी परिस्थितिजन्य और परिणामी कार्यवाही गिरनी चाहिए।जे . वी. बहरुनी (उपरोक्त) के निर्णय में स्वयं न्यायालय के दूसरे परंतुक में निहित निर्देश का पालन करने में विफल रहने के मुद्दे पर विचार किया गया और विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इसलिए कि पराक्रम्यलिखत अधिनियम की खंड 143 के दूसरे परंतुक में निहित निर्देश का निचली अदालत द्वारा ईमानदारी से पालन नहीं किया गया है, यह स्वयं पूरे मुकदमे को दूषित नहीं करेगा।

इसलिए, "सबलाटो फंडामेंटो कैडिट ओपस"का सिद्धांत**समन केस के रूप मे चलाए जाने वाले मामले की नींव को खत्म नही करेगा और मामने मे शुरू की गई कार्यवाही को खराब नही करेगा।**

(16) इसके अलावा , मामले की दूसरे दृष्टिकोण से जांच करते हुए , खंड 461 सी. आर. पी. सी. अनियमितताओं से संबंधित है जो कार्यवाही को **प्रभावित**करती हैं।मजिस्ट्रेट का मामले को सम्मन मामले के रूप में देखने का आदेश कोई ऐसी अनियमितता नहीं है जो कार्यवाही को **प्रभावित**कर दे।इसलिए, भले ही खंड 143 का परंतुक किसी मामले को सम्मन मामले के रूप में चलाने का निर्देश देने से पहले पक्षों को सुनवाई करने पर विचार करता है , लेकिन इसका पालन न करने से कार्यवाही दूषित नहीं होती है।जाहिर तौर पर उक्त परंतुक एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां मामले को सम्मन मामले के रूप में चलाने का आदेश मजिस्ट्रैटद्वारा मुकदमा शुरू होने के बाद पारित किया जाता है और जहां कुछ गवाहों को दर्ज किया गया है।यह विचार करते हुए कि गवाहों को वापस बुलाना होगा और कार्यवाही को फिर से संचालित करना होगा , इसलिए, पक्षों को सुनवाई करने की आवश्यकता को शामिल किया गया था क्योंकि इसका एक आरोपी पर उसके त्वरित न्यायाधीश के अधिकार को विफल करने के रूप में प्रभावपड़ सकता है।जब मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है तो ऐसा **प्रावधान**उसी स्तर के बल के साथ प्रभावीनहीं होता है और उक्त आदेश के परिणामस्वरूप गवाहों को वापस बुलाने /फिर से जांच करने या मामले की फिर से सुनवाई करने की संभावना नहीं है।पक्षों को सुनने और एक आदेश दर्ज करने के लिए सवार किसी भी गवाह को याद करने से पहले आगे बढ़ता है , जिसकी जांच की गई हो सकती है।

(17) इसके अलावा, **पराकम्य**लिखत अधिनियम की खंड 143 से 147 को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य प्रक्रियात्मकतकनीकियोकी अनदेखी करके परीक्षण की प्रक्रियामें तेजी लाना था।याचिकाकर्ता द्वारा दी जाने वाली व्याख्या वैधानिक प्रावधानके पीछे के उद्देश्य के विपरीत होने की संभावना है।यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित प्रस्तावहै कि एक **प्रावधान**को अनिवार्य शब्दों में जोड़ा जा सकता है , लेकिन फिर भी निर्देशिका हो सकती है और "होगा"शब्द का उपयोग, अपने आप में

खंड अनिवार्य है।यह स्पष्ट है कि सुनवाई करने में विफलता की सीमा तक दूसरे परंतुक का पालन न करने से कोई परिणाम निर्धारित नहीं होता है और यह उक्त कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि केवल निर्देश का पालन न करने से मुकदमा **प्रभावित**नहीं होगा।

(18) जैसा कि प्रतिवादीके वकील द्वारा बताया गया है , मुकदमा इस हद तक आगे बढ़ गया है कि सीआरपीसी की खंड 313 के तहत बयान भी दर्ज किया गया है।याचिकाकर्ता की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाने में हुई देरी को संतोषजनक रूप से समझाया नहीं गया है।इसके अलावा, इस आशंका के अलावा कि याचिकाकर्ता को एक साल से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जा सकती है , इसे

किसी आरोपी के प्रतिपूर्वाग्रहनहीं कहा जा सकता है।उक्त विवेकाधिकार का **प्रयोग**अभी तक न्यायिक विवेक द्वारा नहीं किया गया है और यह किसी अभियुक्त के अपराध के निष्कर्ष के संबंध में निर्णय नहीं है।इस प्रकारयह किसी व्यक्ति के किसी भी अधिकार के निर्धारण या उसके प्रतिपूर्वाग्रहपैदा करने के बराबर नहीं है।एक पूर्वाग्रहस्थापित किया जाना चाहिए और उच्च सजा की आशंका एक पूर्वाग्रह नहीं है क्योंकि सजा या दोषसिद्धि कानून में निर्धारित **प्रक्रिया**का पालन करने और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद दी जानी है।

(19) दंड प्रक्रियासंहिता की खंड 482 के तहत उच्च न्यायाधीशालय में निहित अंतर्निहित शक्ति का उपयोग कानून की प्रक्रियाके दुरुपयोग को रोकने और न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना है।इस तरह की शक्ति का प्रयोग संयमित ढंग से,सावधानीपूर्वक और दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए।यह तथ्य कि दंड प्रक्रियासंहिता की खंड 313 के तहत बयान दिसंबर 2015 के महीने में दर्ज किया गया था , वर्तमान याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त होगा।बल्कि यह समाचीनहोगा कि विचाराधीन मुकदमा जल्द से जल्द समाप्त हो जाए।

(20) तत्काल याचिका को तदनुसार बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाता है और अत्यधिक विलंबित स्तर पर कार्यवाही में देरी करने का प्रयासकिया जाता है जब मुकदमा अपने अंतिम चरण में था और दंड प्रक्रियासंहिता की खंड 313 के तहत बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका था।हालाँकि, निचली अदालत को मुख्य मामले का शी**घ्र**निर्णय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।

डॉ. सुमती जुंद

अस्वीकरण– स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है। ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उददे्श्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

विनती वशिष्ठ, अनुवादक, जिला न्यायालय, सोनीपत।